रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या- 50/2026/1893/22-2-2023-17(766)/2023

लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, अयोध्या में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी लतीफ (बन्दी सं0-10033/2022) पुत्र श्री सुलेमान, जो ग्राम-सहतेमऊ मजरे रानिकपुर थाना-कुमारगंज, जनपद-फैजाबाद सम्प्रति अयोध्या का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-264/2016 में भा०द०वि० की धारा-147, 148, 302/149, 307/149, 323/149, 352, 506(2) के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-3, फैजाबाद के आदेश दिनांक 26.05.2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है, बन्दी द्वारा दिनांक 24.11.2022 तक 10 माह की अपरिहार सजा तथा 11 माह, 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद सम्प्रति अयोध्या के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या- 50 /2026/1893(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद सम्प्रति अयोध्या।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद सम्प्रति अयोध्या।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार फैजाबाद सम्प्रति अयोध्या।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।